राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

(राज्य सरकार का उपक्रम)
वित्त भवन,(डी–ब्लॉक,प्रथम तल) जनपथ, विधान सभा के पास, जयपुर–302005
(फोन नं0 0141–2744233, फैक्स नं0 2744237)
web- www.rajexcise.gov.in, email- gma.rsbcl@rajasthan.gov.in
CIN: U15511RJ2005SGC020336

क्रमांक एफ1( )/RSBCL/स्टोर/सामग्री निस्तारण/2019-20/ दिनांक :

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निगम मुख्यालय में पडे अप्रचलित/अनुपयोगी/सुधार न होने योग्य (फर्नीचर/लोहे) वस्तुओं, वाहन टायरो, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, मोबाईल आदि की नीलामी दिनांक 22.05.19 को 1.00 बजे निगम मुख्यालय, वित्त भवन, (डी–ब्लॉक, प्रथम तल) जनपथ, जयपुर पर रखी गयी है, नीलामी की शर्ते निम्नानुसार है:–

1. अप्रचलित/अनुपयोगी/सुधार न होने योग्य (फर्नीचर/लोहे) वस्तुओं की नीलामी वस्तुओं की संख्या के अनुसार पृथक–पृथक ही की जायेगी।
   - A. नीलामी सामान 'जहा है, जैसा हैं' के आधार पर होगी
   - B. प्रत्येक वर्ग की न्यूनतम आरक्षित दरें पृथक–पृथक होगी।
   - C. नीलाम होने वाली सामग्री को कार्यालय समय में व्यक्तिशयः आकर देखा जा सकता है।
2. बोली लगाने के इच्छुक व्यक्ति/फर्म को अपनी पहचान का कोई एक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
3. जो व्यक्ति/फर्म बोली लगाना चाहेंगे उन्हे दिनांक 22.05.19 को दोपहर 12.00 बजे तक राशि रूपये 34000/–(अक्षरे चौतिस हजार रूपये मात्र) नकद राशि मौके पर अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी, इसके उपरान्त ही वे बोली लगाने योग्य हो सकेगें।
4. जिस व्यक्ति/फर्म नाम पर बोली छूटेगी/समाप्त होगी, उस व्यक्ति/फर्म द्वारा लगाई गयी अन्तिम बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि उसी समय मौके पर ही जमा करानी होगी। यदि राशि जमा नहीं करवाई गई तो तो उक्त व्यक्ति/फर्म की बोली को निरस्त करते हुये उसके द्वारा जमा अमानता राशि जब्त कर, निगम खाते में जमा करा दी जावेगी।
5. असफल बोलीदाताओ की अमानता राशि बोली समाप्ती पर वापस लौटा दी जावेंगी।
6. सफल बोलीदाता को तीन दिवस के भीतर शेष राशि जमा करवाकर, अगले तीन दिवस में माल उठाना होगा।
7. नीलामी सम्बन्धी किसी भी विवाद का निर्णय कार्यकारी निदेशक, RSBCL जयपुर का मान्य होगा।
8. उचित मूल्य की बोली नही लगने पर माल की नीलामी के लिए निगम बाध्य नहीं होगा, निलामी की आंशिक वस्तुओं अथवा सम्पर्ण निलामी को बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा नीलामी रद्ध की जा सकती है।

-sd-
(सुखवीर सैनी)
कार्यकारी निदेशक

क्रमांक एफ1( )/RSBCL/स्टोर/सामग्री निस्तारण/2019-20/854 दिनांक :01/05/19

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महाप्रबन्धक (ऑपरेशन/वित्त एवं लेखा), आर.एस.बी.सी.एल., जयपुर।
2. उपमहाप्रबन्धक (एम.आई.एस.)/लेखाधिकारी/प्रबन्धक (प्रशासन) आर.एस.बी.सी.एल., जयपुर।
3. उपमहाप्रबन्धक (MIS) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त नीलामी सूचना को विभागीय वेबसाईट https:// rajexcise.gov.in तथा http://sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।
4. क्रेता फर्म...
5. नोटिस बोर्ड।

(परमेश्वर सिंह)
महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा)

718C:\Data\All Letter\Rambabu Ji\Store 2017-18.doc